

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 020/2020 (GCMS 2020/00045)	दायर दिनांक 25.08.2021	निर्णय दिनांक 04.03.2021
------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

अनवान

कन्हैयालाल पिता मियाचन्द जी जाति कुमावत आयु वयस्क
निवासी धामंचा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेंट

**-:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार बेगूं बमिसल कमांक
004/2020 तारीख आदेश 30.07.2020 ::-**

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट
श्री भैरूलाल सालवी

अधिवक्ता अपीलांट
राजकीय अधिवक्ता

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश न्याय, नियम एव वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का धामचा के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट अतिक्रमी ने मौजा धामंचा की बिलानाम आराजी नम्बर 168 मी0 रकबा 0.04 हेक्टर पर संवत 2077 खरीफ में अतिक्रमण कर चारो और पत्थर डालकर कोट बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 30.07.2020 का नोटिस जारी किया व नोटिस की पालना में अपीलान्ट स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का जवाब



प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का पुराना कब्जा होकर बाडा व रोडी पडी होकर नियमन योग्य कब्जा है, जिसे अपीलान्ट ने नियमितकरण के लिये निवेदन किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली, जुर्माना व मौके पर पडे पत्थर को निलाम किया जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। मौजा धामंचा की बिलानाम आराजी नम्बर 168 रकबा 0.47 हेक्टर भूमि आबादी से लगी हुयी होकर उक्त सरकारी भूमि पर कई लोगों की रोडियाँ एवं बाडे बने हुए है, फिर भी उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही किये बगैर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को 30.07.2020 के नोटिस जारी किया जिस पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया व दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर चाहा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अवसर दिये बगैर निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश विवादित आराजीयात, पक्षकारान श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे अवस्थित होने से अपील अपीलान्ट श्रीमान के न्यायालय में पेश हैं। अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील बहक अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 30.07.2020 निरस्त फरमाया जाकर मौजा धामंचा की बिलानाम आराजी नम्बर 168 रकबा 0.04 हेक्टर का नियमन आदेश पारित फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बेंगू के



पत्रांक/राजस्व/2020/1199 दिनांक 16.09.2020 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 004/2020 अनवानी सरकार बनाम कन्हैयालाल पिता मियाचंद कुमावत निवासी धामचा तहसील बेंगू अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 04.03.2021 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अपीलांट की और से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब अपील मेमों पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया, इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली को सुना गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि पटवारी हल्का धामचा के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट अतिक्रमी ने मौजा धामंचा की बिलानाम आराजी नम्बर 168 मी0 रकबा 0.04 हेक्टर पर संवत् 2077 खरीफ में अतिक्रमण कर चारो और पत्थर डालकर कोट बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को दिनांक 30.07.2020 के नोटिस की पालना में अपीलान्ट स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का पुराना कब्जा होकर बाडा व रोडी पडी होकर नियमन योग्य कब्जा है, जिसे अपीलान्ट ने नियमितकरण के लिये निवेदन किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली, जुर्माना व मौके पर पडे पत्थर को निलाम किया जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। मौजा धामंचा की बिलानाम आराजी नम्बर 168 रकबा 0.47 हेक्टर भूमि आबादी से लगी हुयी होकर उक्त सरकारी भूमि पर कई लोगों की रोडियाँ एवं बाडे बने हुए है, फिर भी उन्हे बेदखल करने की कार्यवाही किये बगैर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा



राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, बेंगलूर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट किस तरह से अतिक्रमी व मौके पर किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, कही स्पष्ट नहीं किया एवं खानापूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है, विवादित आराजीयात पर अपीलांट का पुराना कब्जा चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty



which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent act of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic prison for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issued under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :
Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :



Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि किस्म बिलानाम दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर उप तहसीलदार बेंगू ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांत स्वयं उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अपीलांत विवादित आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2020 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2020 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार, बेंगू के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बेंगू द्वारा अपने प्रकरण संख्या 004/2020 अनवानी सरकार बनाम कन्हैयाल पिता मियादचंद कुमावत निवासी धामचा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 04.03.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़